


कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला धार (म.प्र.)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं का मैनुअल

1. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य धारा 4(ख)(i)

जिला कार्यालय का कार्य विभिन्न लिपिकों में आवंटित होता है और कार्यसुविधा एवं कार्य की प्रकृति को देखते हुए कार्यों का समूह बनाया जाता है। इस एक समूह को शाखा का नाम दिया गया है। जिला कार्यालय में अनेक शाखाएं होती हैं। जिला कार्यालय में नस्तियों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-



2. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी धार के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य धारा 4(ख)(ii)

अ.क्र.	नाम	पद	कर्तव्य / शक्तियां
1	श्री पराक्रमसिंह चन्द्रावत	जि.आ.अ.	जिला आबकारी अधिकारी
2	श्री एस.सी. निगम	स.जि.आ.अ.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी
3	श्री बी.एम. शर्मा	मुख्यलिपिक	मुख्यलिपिक शाखा, स्थापना शाखा, बकाया शाखा, न्यायालय शाखा
4	श्री विनोद परचौले	लेखापाल	शिकायत शाखा, सूचना का अधिकार, आसवनी, स्टोर्स स्टेशनरी
5	श्री पर्वतसिंह चौहान	सहा.ग्रेड-2	आवक-जावक शाखा, विदेशी मदिरा परमिट शाखा
6	श्री आर.आर. वास्कले	सहा.ग्रेड-3	अपराध शाखा
7	श्री भवानीराम खांडेकर	सहा.ग्रेड-3	लेखा शाखा
8	श्री विजय राठौर	आरक्षक	ठेका शाखा, विविध लायसेंस शाखा

3. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, धार में विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित है। धारा 4(ख)(iii)

बिन्दु क्रमांक 02 अनुसार

4. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, धार में कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड धारा 4(ख)(iv)

शासन के निर्देशानुसार

5. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, धार द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख धारा 4(ख)(v)

1. म.प्र. आबकारी अधिनियम
2. सामान्य पुस्त परिपत्र

6. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, धार में ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण धारा 4(ख)(vi)

बिन्दु क्रमांक 02 में उल्लेखित समस्त शाखाओं का अभिलेख

7. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, धार में किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है धारा 4(ख)(vii)

निरंक

8. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, धार में ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण धारा 4(ख)(viii)

निरंक

9. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, धार के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका धारा 4(ख)(ix)

बिन्दु क्रमांक 02 अनुसार

10. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, धार के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो धारा 4(ख)(x)

मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत वेतन सुविधाएं इत्यादि पात्रतानुसार देय है।

11. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, धार में उन सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण की आवंटित बजट धारा 4(ख)(xi)

कर्मचारियों के वेतन भत्तों का आबंटन प्राप्त होता है।

12. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, धार में सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है धारा 4(ख)(xii)

निरंक

13. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, धार द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां धारा 4(ख)(xiii)

निरंक

14. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, धार में किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसके उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों धारा 4(ख)(xiv)

निरंक

15. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, धार में सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है धारा 4(ख)(xv)

सूचना का अवलोकन संबंधित शाखा में नियमानुसार लोक सूचना अधिकारी के आदेश उपरांत उपलब्ध दस्तावेजों से कार्यालयीन समय में किया जा सकता है एवं नियमानुसार प्रतिलिपियां प्राप्त की जा सकती है।

16. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, धार के लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां धारा 4(ख)(xvi)

1. श्री पराक्रम सिंह चन्द्रावत, लोक सूचना अधिकारी
2. श्री शरदचन्द्र निगमा, सहायक लोक सूचना अधिकारी
3. श्री विनोद परचौले, लेखापाल

17. कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, धार की ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाय धारा 4(ख)(xvii)

निरंक

15/3/17  
लोक सूचना अधिकारी,  
जिला आबकारी अधिकारी,  
जिला-धार (म.प्र.)